

GST परिषद की 45वीं बैठक

प्रलिम्स के लिये:

GST परिषद, GST

मेन्स के लयि:


GST परषिद की संरचना और संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वसतु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 45वीं बैठक संपन्न हुई।

What's in store The 45th GST Council meeting was chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lucknow on Friday. Among the key decisions are:

- Concessional tax rates on COVID-19 essential medicines like Tocilizumab extended till December 31
- Muscular atrophy drugs such as Zolgensma and Viltepso that cost around ₹16 cr. exempted from GST
- Import of leased aircraft exempted from I-GST
- Food delivery apps to collect GST instead of restaurants





प्रमुख बदु

- रियायती GST दरों का वसि्तार:
 - ॰ परिषद ने दिसंबर 2021 तक **कोविंड-19 उपचार** से संबंधित कई दवाओं पर GST राहत के विस्तार का निरणय लिया।
- खादय वतिरण एपस एकत्र करेंगे GST:
 - अब रेस्तराँ भागीदारों के बजाय ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर फर्म जैसे स्विगी और ज़ोमैटो GST का भुगतान करने के लिये उततरदायी होंगे।
 - वरतमान में फूड एग्रीगेटर्स द्वारा उत्पन्न ऑनलाइन बिलों में पहले से ही GST एक कर घटक होता है।
 - अभी तक कर की राशि का भुगतान रेस्तराँ भागीदारों को वापस कर दिया जाता है, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे इस राशि का भुगतान सरकार को करेंगे।
- पेट्रोल-डीज़ल GST के दायरे में नहीं आएगा:
 - परिषद ने पेट्रोल और डीज़ल को GST के दायरे में नहीं लाने का फैसला किया है। राज्यों ने इनकी कीमतों में उछाल पर चिता जताते हुए बैठक के दौरान ईंधन को शामिल करने का कड़ा विरोध किया।

- यदि पेट्रोल और डीज़ल GST व्यवस्था के तहत आते हैं, तो कीमतें सभी राज्यों में एक समान हो जाएगी क्योंकि केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न उत्पाद शुल्क तथा वैट दरों को हटा दिया जाएगा।
- इससे डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में महत्त्वपूर्ण कमी लाने में मदद मलिगी, हाल के समय में जनिकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।
- फोर्टिफाइड चावल पर GST घटाया गया:
 - ॰ <u>एकीकृत बाल विकास योजना</u> जैसी योजनाओं के लिये <u>फोर्टिफाइड चावल</u> पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है।
- दर को युक्तिसंगत बनाने के लिये GOM:
 - ॰ रिवर्स शुल्क ढाँचे को ठीक करने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास हेतु दर युक्तिकरण संबंधी मुद्दों को देखने के लिरेराज्य के मंत्रियों के एक समृह (GOM) का गठन किया जाएगा।
 - रिवर्स शुल्क संरचना तब उत्पन्न होती है जब आउटपुट या अंतिम उत्पाद पर कर, इनपुट पर कर से कम होता है, इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक रिवर्स संचय होता है जिसे ज्यादातर मामलों में वापस करना पड़ता है।
 - रविर्स शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) में राजस्व बहरिवाह की समस्या निहित है, इसके लिये सरकार को शुल्क संरचना पर फिर से विचार करना चाहिये।

he Vision

• **ई-वे बलि, फास्टैग**, **अनुपालन (Compliances), प्रौद्योगिकी, वर्तमान कमियों को दूर करने, कंपोज़िशन स्कीम** आदि के मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिये अन्य GOM स्थापित किये जाएंगे।

GST परिषद

- यह माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिये अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
- GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वितृत मंत्री करता है और सभी राज्यों के वितृत मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं ।
- इसे एक **संघीय निकाय** के रूप में स्थापति किया गया है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मलिता है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/45th-gst-council-meeting